| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br><br>दुर्गाराम बनाम लो.सू.अ. ( उपखण्ड अधिकारी फलोदी )<br><br>सू.अ.अ. अपील संख्या 72/2019 | नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 03.06.19 | पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी दुर्गाराम पुत्र जगमालराम प्रजापत, निवासी ग्राम शिवपुरी, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.03.2019 में उसके द्वारा (1) प्रार्थी ने दिनांक 20.08.15 को श्रीमान् एस.डी.एम. साहब फलोदी के समक्ष उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र कुल 23 पेज का पेश किया जिस बाबत् एस.डी.एम. कोर्ट फलोदी में मु.सं0 229/15 तहसीलदार लोहावट बनाम सरपंच ग्राम पंचायत सम्भेश्वरनगर दर्ज होकर फैसला दिनांक 03.10.2017 को हुआ। उपरोक्तानुसार प्रार्थी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र कुल 23 पेज सहित सम्पूर्ण फाईल की प्रमाणित प्रतियां, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी फलोदी ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को जरिये पत्रांक 76 दिनांक 12.04.19 को सूचित किया गर्या, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( उपखण्ड अधिकारी फलोदी ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.( उपखण्ड अधिकारी फलोदी ) से जरिये पत्रांक 337 दिनांक 27.05.19 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना राजस्व वाद सं संबंधित है इस बाबत् प्रार्थी को लिखा गया कि आप द्वारा चाही गई सूचना राजस्व कोर्ट से संबंधित है इसलिये उक्त प्रकरण की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया में आवेदन कर प्राप्त करें। रिपोर्ट में यह भी बतलाया कि प्रार्थी द्वारा राजस्व कोर्ट की पत्रावली में छायाप्रतियां के दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां चाही गई है इसलिये General Rule (civil) 1986 के नियम 241 में copies prohibited में जो दस्तावेज स्वयं प्रतिलिपि हो उसकी प्रतिलिपि नहीं दी जा सकती है। अपील में वर्णित तथ्यों एवं लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा फोटो प्रति दस्तावेज राजस्व प्रकरण में प्रस्तुत किये गये वो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रमाणित कराकर प्राप्त करना चाहता है जो संभव नहीं है। अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। | |